राजस्थान विधान सभा

चतुर्थ सत्र

कार्य-सूची

रविवार, दिनांक 22 मार्च, 2015

बैठक का समय-प्रात: 11.00 बजे

1. सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि

वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे

श्री राजपाल सिंह शेखावत, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा- 394 के अन्तर्गत जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड़, जयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2013-2014 सदन की मेज पर रखेंगे।

2. याचिकाओं का उपस्थापन

(1) श्री जगदीश नारायण, सदस्य, विधान सभा, ग्राम जगतसर उर्फ रिक्शया, ग्राम पंचायत फूटोलाव, तहसील-जमवारामगढ़ (जयपुर) में नलकूप मय उच्च जलाशय पानी की टंकी के निर्माण कराने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगे।

(2) श्री रतन लाल जलधारी, सदस्य, विधान सभा, सीकर शहर में सीवरेज एवं ड्रेनेज के निर्माण बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगे।

(3) श्री शंकर सिंह, सदस्य, विधान सभा, विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में राजस्थान अरबन इन्फ्रास्ट्रक्चर फाईनेंस डवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड़ द्वारा स्वीकृत सीवरेज लाईन का कार्य पूर्ण करवाने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगे।

(4) श्री संदीप शर्मा, सदस्य, विधान सभा, राजकीय महाविद्यालय, कोटा में भूगर्भ शास्त्र विषय खुलवाने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगे।

(5) श्रीमती शकुन्तला रावत, सदस्य, विधान सभा, विधान सभा क्षेत्र बानसूर, जिला-अलवर में राजकीय महाविद्यालय खोलने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगी।

(6) डॉ0 फूलचन्द भिण्डा, सदस्य, विधान सभा, विधान सभा क्षेत्र विराटनगर की कतिपय ढाणियों में पेयजल की समुचित व्यवस्था करने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगे।

(7) श्री हीरालाल, सदस्य, विधान सभा, निवाई शहर में सदर थाना व चौकियां खोलने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगे।

(8) श्री पब्बाराम विश्नोई, सदस्य, विधान सभा, गुरू जम्भेश्वर लिफ्ट (फलोदी लिफ्ट) हिस्से का पूरा पानी उपलब्ध करवाने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगे।

(9) श्री सुखराम विश्नोई, सदस्य, विधान सभा निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापन करेंगे:-

1- बीकानेर जिले की श्री पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट योजना व श्री कोलायत लिफ्ट योजना से क्षेत्र के किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने बाबत; एवं

2- इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वितीय चरण में बीकानेर जिले के बेरोजगार युवाओं व खेतीहर मजदूरों व किसानों हेतु सामान्य आवंटन (भूमिहीन श्रेणी) खोलने बाबत्।

10) श्री गोतम कुमार, सदस्य, विधान सभा, उपखण्ड डूगला (जिला-चित्तौड़गढ) पर 132 केवी ग्रिड सब-स्टेशन स्वीकृत करवाने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगे।

जारी..2..

(11) श्री कैलाश भंसाली, सदस्य, विधान सभा, जोधपुर स्थित झालामण्ड के आस-पास विशाल कॉलोनियों के स्थापित होने के बावजूद भी कोई सैटेलाईट अस्पताल नहीं होने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगे।

3. विधायी कार्य

पुर:स्थापित किये जाने वाले विधेयक

(I) राजस्थान अपार्टमेंट स्वामित्व विधेयक, 2015

(I) श्री राजपाल सिंह शेखावत, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे:-

राजस्थान अपार्टमेंट स्वामित्व विधेयक, 2015
(2015 का विधेयक संख्या-13)

"किसी भवन में अलग-अलग अपार्टमेंट के और ऐसे अपार्टमेंट से अनुलग्न सामान्य क्षेत्रों और सुविधाओं में अविभक्त हित के स्वामित्व के लिये उपबंध करने और ऐसे अपार्टमेंट और हित को दाययोग्य और अंतरणीय बनाने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों के लिये उपबंध करने के लिये विधेयक।"

(II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

(II) राजस्थान विशेष आर्थिक जोन विधेयक, 2015

(I) श्री गजेन्द्र सिंह, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे:-

राजस्थान विशेष आर्थिक जोन विधेयक, 2015
(2015 का विधेयक संख्या-14)

"उद्यमों के त्वरित और सुव्यवस्थित स्थापन, वृद्धि और विकास में अभिवृद्धि और सहायता करने के लिये राज्य में विशेष आर्थिक जोनों के स्थापन, रख-रखाव, प्रबंध और प्रशासन के लिये उपबंध करने और ऐसे विशेष आर्थिक जोनों में विनिधान आकृष्ट करने और उससे संसक्त या आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिये विधेयक।"

(II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

4. वित्तीय कार्य

अतिरेक मांगें वर्ष 2010-2011 एवं अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 2014-2015 पर मतदान एवं पारण

अतिरेक मांगें वर्ष 2010-2011 एवं अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 2014-2015 पर मुखबन्द का प्रयोग किया जाकर मतदान हेतु प्रस्तुत की जाएंगी।

जारी..3..

5. विधायी कार्य

विधेयकों का पुर:स्थापन, विचार एवं पारण

(1) राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2015

(I) श्रीमती वसुन्धरा राजे, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगी:-

राजस्थान विनियोग(संख्या-1) विधेयक, 2015
(2015 का विधेयक संख्या-1)

"31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष 2010-2011 की सेवाओं के लिये राज्य की समेकित निधि में से उन सेवाओं और उस वर्ष के लिये स्वीकृत रकमों के अतिरिक्त कतिपय और राशियों के विनियोजन को प्राधिकृत करने के लिये विधेयक।"

(II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगी।

(III) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगी कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाय।

(IV) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगी कि विधेयक को पारित किया जाय।

(2) राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2015

(I) श्रीमती वसुन्धरा राजे, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगी:-

राजस्थान विनियोग(संख्या-2) विधेयक, 2015
(2015 का विधेयक संख्या-2)

"वित्तीय वर्ष 2014-2015 की सेवाओं के लिये राज्य की समेकित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोजन को प्राधिकृत करने के लिये विधेयक।"

(II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगी।

(III) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगी कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाय।

(IV) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगी कि विधेयक को पारित किया जाय।

जारी..4..

6. आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2015-2016

द्वितीय अवस्था

अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान

निम्नांकित अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान होगा:-

क्र.सं.	मांग संख्या		मुख्य शीर्षक
1.	29	-	नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास
2.	20	-	आवास

(कटौती प्रस्ताव जो पृथक से वितरित किये जा चुके हैं/रहे हैं, प्रस्तुत किये जायेंगे)

पृथ्वी राज
विशिष्ट सचिव

विधान सभा भवन,
जयपुर ।
दिनांक : 21 मार्च, 2015

नोट :- प्रश्नकाल नहीं होगा। शून्यकाल होगा।